

प्रेस नोट दिनांक 25.3.2019

निर्वाचन संचालन शाखा

शपथ पत्र (फार्म-26) में संशोधन:

- भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 28.2.2019 द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र (फार्म-26) में संशोधन कर निम्नांकित जानकारी को भी शामिल किया गया है :
 - विदेशी बैंकों एवं विदेश में किए गए निवेश की जानकारी
 - अभ्यर्थी, उसके पति/पत्नि एवं उस पर आश्रित व्यक्तियों के साथ साथ **अविभक्त कुटुम्ब** की स्थावर आस्तियों की जानकारी
 - अभ्यर्थी, उसके पति/पत्नि एवं उस पर आश्रित व्यक्तियों के साथ साथ **अविभक्त कुटुम्ब** की शासकीय देनदारियों की जानकारी
 - अभ्यर्थी, उसके पति/पत्नि एवं उस पर आश्रित सदस्यों के साथ साथ **अविभक्त कुटुम्ब** की विगत 5 वर्षों की आयकर विवरणी चाही गई है।
- शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं नोटरी द्वारा सत्यापन एवं सील अनिवार्य की गई है ।